कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 70

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		42.09	209.71	251.80	35.44	199.52	234.96	53.91	219.93	273.84
पूंजी		6.15	10.00	16.15	1.16	11.48	12.64	21.09	9.07	30.16
जोड़		**48.24**	**219.71**	**267.95**	**36.60**	**211.00**	**247.60**	**75.00**	**229.00**	**304.00**
1. सचिवालय–सामान्य सेवाएं	2052	9.25	28.85	38.10	6.68	30.21	36.89	22.00	33.96	55.96
2. न्याय प्रशासन	2014	3.50	22.20	25.70	3.50	26.79	30.29	...	24.26	24.26
3. कर्मचारी चयन आयोग	2051	...	18.18	18.18	...	14.42	14.42	...	18.98	18.98
पुलिस										
4. केन्द्रीय जांच ब्यूरो	2055	1.00	102.38	103.38	1.00	107.52	108.52	1.00	115.28	116.28
	4055	5.00	1.00	6.00	0.01	2.48	2.49	20.00	0.07	20.07
	जोड़	*6.00*	*103.38*	*109.38*	*1.01*	*110.00*	*111.01*	*21.00*	*115.35*	*136.35*
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
5. प्रशिक्षण	2070	28.34	31.51	59.85	24.26	13.52	37.78	30.91	19.50	50.41
	4059	1.15	...	1.15	1.15	...	1.15	1.09	...	1.09
	जोड़	*29.49*	*31.51*	*61.00*	*25.41*	*13.52*	*38.93*	*32.00*	*19.50*	*51.50*
6. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण	7601	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00
7. अन्य मदें	2070	...	6.59	6.59	...	7.05	7.05	...	7.95	7.95
8. विविध सामान्य सेवाएं ऋणों को बट्टे खाते डालना	2075	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...
कुल जोड़		***48.24***	***219.71***	***267.95***	***36.60***	***211.00***	***247.60***	***75.00***	***229.00***	***304.00***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32052	9.25	...	9.25	6.68	...	6.68	22.00	...	22.00
2. न्याय प्रशासन	32014	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	...	...	...
3. केन्द्रीय जांच ब्यूरो	32055	6.00	...	6.00	1.01	...	1.01	21.00	...	21.00
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	29.49	...	29.49	25.41	...	25.41	32.00	...	32.00
	जोड़	*48.24*	*...*	*48.24*	*36.60*	*...*	*36.60*	*75.00*	*...*	*75.00*

1. निम्नलिखित के संबद्ध में सचिवालय संबंधी व्यय का प्रावधान है (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जिसे नियम और विनियम बनाने/उनकी व्याख्या करने; भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति; वरिष्ठ और मंझोले प्रबंधन स्तर के अधिकारियों के लिए प्रवेशकालनीन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम; सेवा शर्तो, सतर्कता, अनुशासन, कॅरिअर और जन-शक्ति आयोजना इत्यादि का कार्य सौंपा गया है। उपर्युक्त प्रावधान में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, गृह कल्याण केन्द्र, आवासीय कल्याण संघों इत्यादि को दी जाने वाली अनुदान सहायता भी शामिल है; (ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो प्रशासनिक सुधार, संगठन और पद्धति और नीति, समन्वय और शिकायतों का निवारण जिसमें केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों से संबंधित समन्वय और शिकायतों का निवारण भी शामिल है, कलैक्टरों के सम्मेलनों के संचालन इत्यादि का कार्य देखता है; (ग) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग जो उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों की सीमांत प्रसुविधाओं सहित सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं से संबंधित सभी योजनाओं को लागू करने संबंधी कार्य देखता है।

2. यह प्रावधान, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के स्थापना संबद्ध व्यय के लिए किया गया है जिनका गठन विशिष्ट रूप से लोक सेवकों की शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है जिससे कि शिकायतों के निवारण में होने वाली देरी से बचा जा सके। इस प्रावधान में प्रशासनिक अधिकरणों के लिए किराए पर लिए गए भवनों का किराया भी शामिल है।

3. यह प्रावधान, कर्मचारी चयन आयोग के स्थापना संबद्ध व्यय और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के निचले ग्रेड के कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े व्यय के लिए है।

4. यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के व्यय के लिए है जो लोक सेवकों, गैर सरकारी व्यक्तियों, फर्मों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलों और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में अन्वेषण और अभियोजन के कार्यों से जुड़ा है।

5. इस प्रावधान में (क) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान; (ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पर आने वाले व्यय (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और (घ) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुदान सहायता देने पर होने वाला व्यय शामिल है। ये संगठन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि सचिवालयी पदों के सभी स्तरों/ग्रेडों के अधिकारियों को नवीनतम नियमों और विनियमों, अभिरूचि इत्यादि से परिचित रखा जा सके।

6. यह प्रावदान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दिए जाने वाले भवन निर्माण अग्रिम के संबंध में राज्य सरकारों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए है जिसका प्रावधान इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीकृत रूप से किया जाता है।

7. इसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक उद्यम चयन बोर्ड पर होने वाला व्यय शामिल है।